कार्यालय : प्राचार्य, एस.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
स्याल्दे, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड़)

E-mail –principalsyalde@gmail.com

दिनांक 10.10.2024

सूचना

खेल महाकुंभ – 2024

महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जिस के पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं। आयोजन में प्रतिभाग से संबंधित समस्त जानकारी जैसे – **पंजीकरण, निर्धारित आयुवर्ग, खेल विधाएं, निर्धारित पुरस्कार, आयोजन समिति, तकनीकि समिति** आदि की विस्तुत जानकारी महाविद्यालय की बेबसाइट (gpgcsyalde.ac.in) पर उपलब्ध है। साथ ही महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की गई है।

अतः समस्त छात्र–छात्राऐं सूचना से अवगत होते हुए सम्बन्धित आयु वर्ग में निर्धारित पंजीकरण स्थल पर पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाएं तत्पश्चात महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रभारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

प्राचार्य
एस.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
स्याल्दे (अल्मोड़ा)

10.10.24
डॉ0 जगदीश चन्द्र
क्रीड़ा प्रभारी
एस0एस0जे0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय
स्याल्दे, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड राज्य

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

नवाड़खेड़ा, गौलापार

(नैनीताल)

05946–299615,05946–299616,05946–299617

Mail Id: highereducation.director@gmail.com

पत्रांकः डिग्री सेवा विविध/3483/2024–25, दिनॉकः 09 अक्टुबर 2024

सेवा में,

समस्त शासकीय एवं अशासकीय,
स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय– खेल महाकुम्भ –2024 के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संन्दर्भ में विशेष प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 545/VI-4/2024–61(03) 24 दिनांक 23 सितम्बर 2024 एवं अनु सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 244774/XXIV-C-2/2024–13(04)2024 दिनांक 08 अक्टूबर,2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करे, उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में महाविद्यालय में समस्त छात्र/छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में खेल महाकुम्भ में प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के साथ साथ सूचना महाविद्यालय के सूचना पटट एवं महाविद्यालय की बैबसाइड के माध्यम से भी प्रसारित कर शासनादेशो के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

9/10/24

(डॉ0 एच0एस0नयाल)
कृते निदेशक
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, (नैनीताल।

संख्या–244774/XXIV-C-2/2024–13(04)2024 (E–78454)

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2 कुल सचिव
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

विषयः– खेल महाकुम्भ–2024 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया विशेष प्रमुख सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–545 दिनांक 23.09.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल महाकुम्भ–2024 के आयोजन के दृष्टिगत विभाग से संबंधित दिशा–निर्देशों के संबंध में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि किसी बिन्दु पर शासन से मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सम्यक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Deepak Kumar
Date: 08-10-2024 11:54:31

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

संख्या– 545 / VI-4 / 2024–61(03)24

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर 2024

विषय :– खेल महाकुम्भ–2024 के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–518 / खे0महा0–4061 / 2024–25 दिनांक 22.06.2024 द्वारा खेल महाकुम्भ–2024 के आयोजन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में निहित आयोजन के दिशा–निर्देशों, आयुवर्ग, खेल विधाओं, आयोजन समितियों के गठन तथा उनके दायित्व, तकनीकी समिति का गठन तथा उनके दायित्व, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा व्यय विवरण पर सम्यकविचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता **"खेल महाकुम्भ 2024"** का आयोजन राज्य में खेलों का वातावरण सृजित करने, युवाओं एवं दिव्यांगजनों का खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करने, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के दृष्टिगत राज्य में खेलों का माहौल तैयार करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से खेल, शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।

खेल महाकुम्भ लोगो एवं मस्कट –

लोगो

खेल महाकुम्भ उत्तराखंड 2024

शुभांकर

ध्रुव(Musk Deer)

उद्देश्य एवं लक्ष्य– राज्य के युवाओं को इलैक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्ले ग्राउण्ड संस्कृति (ई–कल्चर से पी–कल्चर) की ओर आकर्षित करने के साथ ही न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता के दौरान अधिक से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। खेल महाकुम्भ के अन्तर्गत राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को प्रतिभाग कराने का लक्ष्य है। चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर खेल विभाग द्वारा संचालित स्पोर्टस कालेज एवं खेल छात्रावासों में प्रवेश दिये जाने के साथ ही इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस आदि में भर्ती के दौरान लाभ दिलाये जाने का लक्ष्य है।

C:\Users\Administrator\Downloads\G.O. (2).doc

(दीपक कुमार)
अनुसचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

सहभागिता– खेल महाकुम्भ 2024 में न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता में निम्न संस्थाओं से खिलाड़ियों जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा -
1. ग्राम पंचायत के बालक–बालिका 2. नगर निकायों के बालक–बालिका, 3. वार्डों के बालक–बालिका, 4. निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्रायें, 5. राजकीय शिक्षण संस्थान के छात्र–छात्रायें, 6. आई.सी.एस.ई./सीबीएसई/उत्तराखण्ड बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्रायें, 7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के छात्र–छात्रायें, 8. जवाहर एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के छात्र–छात्रायें, 9. सरस्वती शिशु/विद्या मन्दिर के छात्र–छात्रायें, 10. समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्र–छात्रायें, 11. आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्र–छात्रायें, 12. विभिन्न छात्रावासों के
छात्र–छात्रायें, 13. सैनिक स्कूल के छात्र–छात्रायें, 14. निजी कोचिंग/ट्यूशन सेन्टरों में अध्ययनरत छात्र–छात्रायें, 15. खेल संघ/खेल अकादमी के खिलाड़ी, 16. खेल विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के खिलाड़ी तथा 17. शासकीय/निजी आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक के छात्र–छात्रायें, 18. शासकीय–निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्रायें।

प्रचार–प्रसार– खेल महाकुम्भ–2024 आयोजन के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग से सहयोग प्राप्त कर प्रिन्ट मीडिया एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से, विभागीय सोशल मीडिया पेज, एफएम रेडियो आदि के माध्यम किया जायेगा। न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर की प्रतियोगिता हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रैलियां, विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में खेल महाकुम्भ 2024 के आयोजन की जानकारी, विकासखण्ड, नगर पालिका–नगर निगम, तहसील, जनपद विकास भवन एवं कलक्ट्रेट, पोस्ट आफिस, बैंक आदि कार्यालयों में पोस्टर–बैनर एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ई–स्क्रीन के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

आयोजन का स्तर– खेल महाकुम्भ 2024 के अन्तर्गत खेल एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से 1. न्याय पंचायत (न्याय पंचायत के अन्तर्गत अथवा उसके निकटस्थ युवा जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में निवासरत हैं वो अपनी निकटतम् न्याय पंचायत में प्रतिभाग कर सकते हैं) 2. विकासखण्ड (विकासखण्ड के अन्तर्गत अथवा उसके निकटस्थ युवा जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में निवासरत हैं वो अपनी निकटतम् विकासखण्ड में प्रतिभाग कर सकते हैं) 3. जनपद स्तर 4. राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

पंजीकरण– खेल महाकुम्भ 2024 में खिलाड़ियों की प्रतिभागिता हेतु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात् पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। पंजीकरण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रस्तावित किये गये हैं –

1. **न्याय पंचायत के अन्तर्गत पंजीकरण –** न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला संगठिका, पीआरडी हल्का सरदार, पीआरडी ब्लाक कमाण्डर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज बालक बालिका में तैनात व्यायाम शिक्षक/प्रधानाचार्य के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थानों के व्यायाम शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर पंचायत–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, विकासखण्ड–खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, तहसील–उप जिलाधिकारी, नगर निगम–मुख्य नगर अधिकारी, जनपद मुख्यालय–मुख्य विकास अधिकारी/जिला क्रीड़ाधिकारी/जिला युवा कल्याण अधिकारी स्थित कार्यालय से पंजीकरण प्रपत्र वितरण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। पंजीकरण

प्रपत्र पूर्ण कराते हुए न्याय पंचायत आयोजन समिति को प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

2. **विकासखण्ड स्तर**– विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला संगठिका, पीआरडी हल्का सरदार, पीआरडी ब्लाक कमाण्डर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, रांजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक/बालिका) में तैनात व्यायाम शिक्षक/प्रधानाचार्य के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थानों के व्यायाम शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर पंचायत–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, विकासखण्ड–खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, तहसील–उप जिलाधिकारी, नगर निगम–मुख्य नगर अधिकारी, जनपद मुख्यालय–मुख्य विकास अधिकारी–जिला क्रीड़ाधिकारी–जिला युवा कल्याण अधिकारी स्थित कार्यालय से पंजीकरण प्रपत्र वितरण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। पंजीकरण प्रपत्र पूर्ण कराते हुए विकासखण्ड आयोजन समिति को प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **जनपद स्तर**– जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला संगठिका, पीआरडी हल्का सरदार, पीआरडी ब्लाक कमाण्डर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक/बालिका) में तैनात व्यायाम शिक्षक/प्रधानाचार्य के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थानों के व्यायाम शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर पंचायत–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, विकासखण्ड–खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, तहसील–उप जिलाधिकारी, नगर निगम–मुख्य नगर अधिकारी, जनपद मुख्यालय–मुख्य विकास अधिकारी–जिला क्रीड़ाधिकारी–जिला युवा कल्याण अधिकारी स्थित कार्यालय से पंजीकरण प्रपत्र वितरण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। पंजीकरण प्रपत्र पूर्ण कराते हुए जिला आयोजन समिति को प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **राज्य स्तर की प्रतियोगिता**–जनपद स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा चयनित टीमों एवं व्यक्तिगत विधा में समिति द्वारा चिन्हित खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। जो खेल विधाऐं सीधे राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं उसका पंजीकरण जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय एवं जिला क्रीड़ाधिकारी कार्यालय, मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय, जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त कर किया जा सकता है।

5. न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जनपद, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं का विवरण तैयार करने हेतु खेल महाकुम्भ 2018 के दौरान निदेशालय से उपलब्ध कराये गये रजिस्टर–पुस्तिका के प्रारूप/विवरण कार्यालय रजिस्टर पर अंकित कर जिला युवा कल्याण अधिकारी न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर की आयोजन समितियों को उपलब्ध करायेंगे एवं प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात सभी स्तरों का रजिस्टर संकलित कर जिला कार्यालय में संरक्षित रहेगा जिसके आधार पर निदेशालय स्तर पर सूचना प्रेषित की जायेगी।

6. न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जनपद स्तर पर पंजीकरण हेतु अधिकृत दल/व्यक्ति, कार्यालय, शिक्षण संस्थान को पंजीकरण प्रपत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, जिला क्रीड़ाधिकारी, मुख्य शिक्षा शिक्षाधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी की होगी।

निर्धारित आयु वर्ग

01	अंडर–14 (11–14)	प्रतिभागी की आयु पूर्ण दिनांक 31.07.2024 को 11 वर्ष पूर्ण तथा 14 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।
02	अंडर–17 (15–17)	प्रतिभागी की आयु पूर्ण दिनांक 31.07.2024 को 14 वर्ष पूर्ण तथा 17 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।

03	अंडर–20 (18–20)	प्रतिभागी की आयु पूर्ण दिनांक 31.07.2024 को 17 वर्ष पूर्ण तथा 20 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।
04	अंडर–23 (21–23)	प्रतिभागी की आयु पूर्ण दिनांक 31.07.2024 को 20 वर्ष पूर्ण तथा 23 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।
05	दिव्यांगजन (14–23 वर्ष)	प्रतिभागी की आयु पूर्ण दिनांक 31.07.2024 को 14 वर्ष पूर्ण तथा 23 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है। 1. ब्लाइण्ड (**टी–11**: पूर्णदृष्टिहीन हेतु एवं **टी–13**– (03 से 06 मीटर की दृष्टिबाधिता हेतु) 2. मूक बाधिर 3. आर्थो (लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, व्हील चेयर, स्पाइनल)

7. पंजीकरण करने वाले खिलाड़ी उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम् आयुगणना के अनुसार ही अपना पंजीकरण करायेंगे। एक खिलाड़ी एक ही खेलविधा में प्रतिभाग कर सकता है।

8. न्याय पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के संकुल स्तर के संयोजक (जिनकी सूची खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई गई हो) को प्रदान की जायेगी तथा उक्त धनराशि का समायोजन एवं प्रतिभाग करने वाले खेल विधावार खिलाड़ियों की संख्या–सूची, प्रतियोगिताओं के परिणाम, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण, प्रतियोगिताओं की फोटो, समाचार पत्रों की कटिंग आदि सम्बन्धित संकुल स्तर के संयोजक द्वारा खण्ड शिक्षाधिकारी के माध्यम से जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी कार्यालय को प्रतियोगिता सम्पन्न होने के पश्चात तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी।

9. न्याय पंचायत स्तर पर मार्ग व्यय अनुमन्य नहीं है। विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर मार्ग व्यय उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अनुमन्य पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। (प्रतियोगिता स्थल, विद्यालय से 15 किमी0 से अधिक दूरी होने पर)

10. सभी स्तरों की प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी को अपना आयु प्रमाण पत्र जिस पर प्रतिभागी का फोटो अनिवार्य रूप से चस्पा किया गया हो यथा–स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र/आई डी कार्ड, नगर–निगम अथवा अस्पताल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की अंकतालिका, ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा।

11. सभी स्तरों की प्रतियोगिताओं के दौरान व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रतिभागियों की कुल संख्या 04 से कम होने की दशा में सम्बन्धित प्रतियोगिता निरस्त कर दी जायेगी एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में न्यूनतम् 06 जनपदों/टीमों का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा यदि किसी भी खेल विधा में 06 जनपद/टीमें प्रतिभाग नहीं करती हैं तो उक्त खेल विधा की प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य स्तर पर नहीं किया जाएगा।

खेल विधायें– 1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स, 3. खो–खो, 4. वालीबाल, 5. बैडमिन्टन, 6. फुटबाल, 7. टेबिल–टेनिस, 8. ताईक्वांडो, 9. बाक्सिंग, 10. जूडो, 11. हैण्डबाल 12. बास्केटबाल, 13. कराटे

14. हॉकी, 15. मुर्गा झपट, 16. मलखम्ब एवं 17. योगासन की प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्न तालिकानुसार किया जाएगा –

क्र० सं०	आयुवर्ग	अधिकतम खेल विधाओं की संख्या	न्याय पंचायत–संकुल स्तर–नगर पंचायत–नगर पालिका	विकासखण्ड स्तर–नगर पालिका–नगर निगम	जनपद स्तर	राज्य स्तर
1	अण्डर–14 (बालक–बालिका) (11–14)	12	1. कबड्डी, 2. एथलेटिक्स (60 मी. दौड़, 600 मी. दौड़, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, गोला फेंक) 3. वालीबाल 4. खो–खो	1. कबड्डी, 2. खो–खो, 3. वालीबाल, 4. एथलेटिक्स (60 मी. दौड़, 600 मी. दौड़, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, गोला फेंक)	चयन के आधार पर 1. कबड्डी, 2. खो–खो, 3. वालीबाल, 4. एथलेटिक्स (60 मी. दौड़, 600 मी. दौड़, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, गोला फेंक) **सीधे जनपद स्तर पर** 5. फुटबाल 6. बैडमिंटन (एकल, युगल एवं मिक्स युगल) 7. जूडो (बालक– 35–40, 40–45, 45–50 ,50–55, 55–60, 60–66 एवं +66 बालिका – 32–36, 36–40, 40–44, 44–48, 48–52, 52–57 एवं +57 किग्रा) 8. बाक्सिंग (बालक 40–42, 42–44, 44–46, 46–48,48–50, 50–52 एवं 52–54) (बालिका 36–38, 38–40, 40–42, 42–44, 44–46, 46–48 एवं 50–52 किग्रा)। 9. टेबिल टेनिस (एकल, युगल एवं मिक्स युगल) 10. ताईक्वांडो (बालक– 33–37, 37–41, 41–45, 45–49, 49–53, 53–57 एवं 57–61, बालिका – 29–33, 33–37, 37–41, 41–44, 44–47, 47–51 एवं 51–55 किग्रा)। 11. कराटे (बालक –40, +40 (11 वर्ष), –45, +45 (12 वर्ष), –50, +50 (13 वर्ष), एकल काता, बालिका –40, +40 (11 वर्ष), –45, +45 (12 वर्ष), –50, +50 (13 वर्ष), एकल काता) 12. बास्केटबाल 13. हैण्डबाल 14. मलखम्ब 15. हॉकी 16. मुर्गा झपट (बालक 25–30, 30–35, 35–40, 40–45 किग्रा बालिका 25–30, 30–35, 35–40,	1. कबड्डी, 2. खो–खो, 3. वालीबाल, 4. एथलेटिक्स (60 मी. दौड़, 600 मी. दौड़, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, गोला फेंक) 5. फुटबाल 6. बैडमिंटन (एकल, युगल एवं मिक्स युगल) 7. जूडो (बालक– 35–40, 40–45, 45–50 ,50–55, 55–60, 60–66 एवं +66 बालिका – 32–36, 36–40, 40–44, 44–48, 48–52, 52–57 एवं +57 किग्रा) 8. बाक्सिंग (बालक 40–42, 42–44, 44–46, 46–48,48–50, 50–52 एवं 52–54) (बालिका 36–38, 38–40, 40–42, 42–44, 44–46, 46–48 एवं 50–52 किग्रा)। 9. टेबिल टेनिस (एकल, युगल एवं मिक्स युगल) 10. ताईक्वांडो (बालक– 33–37, 37–41, 41–45, 45–49, 49–53, 53–57 एवं 57–61, बालिका – 29–33, 33–37, 37–41, 41–44, 44–47, 47–51 एवं 51–55 किग्रा)। 11. कराटे (बालक –40, +40 (11 वर्ष), –45, +45 (12 वर्ष), –50, +50 (13 वर्ष), एकल काता, बालिका

					40–45 किग्रा)	–40, +40 (11 वर्ष), –45, +45 (12 वर्ष) –50, +50 (13 वर्ष), एकल काता) 12. बास्केटबाल 13. हैण्डबाल 14. मलखम्ब 15. हॉकी 16. मुर्गा झपट (बालक 25–30, 30–35, 35–40, 40–45 किग्रा बालिका 25–30, 30–35, 35–40, 40–45 किग्रा) **सीधे राज्य स्तर पर –** 17. योगासन (आर्टिस्टिक व्यक्तिगत एवं युगल एवं रिदमिक)
2	अण्डर–17 (बालक–बालिका) (15–17)	15	1. एथलेटिक्स (100 मी., 200 मी., 400 मी., 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X100 मीटर रिले), 2. कबड्डी, 3. खो–खो 4. वालीबाल	1. एथलेटिक्स (100 मी., 200 मी., 400 मी., 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X100 मीटर रिले), 2. कबड्डी, 3. खो–खो 4. वालीबाल	**चयन के आधार पर** 1. कबड्डी, 2. खो–खो, 3. वालीबाल, 4. एथलेटिक्स (100 मी. दौड़, 200 मी. दौड, 400 मी. दौड, 800 मी. दौड, 1500 मी. दौड, 3000 मी. दौड, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X100 मीटर रिले) **सीधे जनपद स्तर पर –** 5. बैडमिंटन(एकल, युगल एवं मिक्स युगल), 6. फुटबाल 7. जूडो (बालक– 50–55, 55–60, 60–66, 66–73, 73–81, 81–90 एवं + 90 बालिका – 40–44, 44–48, 48–52, 52–57, 57–63, 63–70, +70 किग्रा), 8. बाक्सिंग (बालक– 46–48, 48–50, 50–52, 52–54, 54–57, 57–63 एवं 63–66 किग्रा) बालिका– (44–46, 46–48, 48–50, 50–52, 52–54, 54–57 एवं 57–63 किग्रा) 9. टेबिल टेनिस (एकल, युगल एवं मिक्स युगल), 10. ताईक्वांडो (बालक– 45–48, 48–51, 51–55, 55–59, 59–63, 63–68 एवं 68–73 किग्रा)	**चयन के आधार पर** 1. कबड्डी, 2. खो–खो, 3. वालीबाल, 4. एथलेटिक्स (100 मी. दौड़, 200 मी. दौड, 400 मी. दौड, 800 मी. दौड, 1500 मी. दौड, 3000 मी. दौड, लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X100 मीटर रिले) 5. बैडमिंटन(एकल, युगल एवं मिक्स युगल), 6. फुटबाल 7. जूडो (बालक– 50–55, 55–60, 60–66, 66–73, 73–81, 81–90 एवं + 90 बालिका – 40–44, 44–48, 48–52, 52–57, 57–63, 63–70, +70 किग्रा), 8. बाक्सिंग (बालक– 46–48, 48–50, 50–52, 52–54, 54–57, 57–63 एवं 63–66 किग्रा) बालिका– (44–46, 46–48, 48–50, 50–52, 52–54,

					बालिका – 42–44, 44–46, 46–49, 49–52, 52–55, 55–59 एवं 59–63 किग्रा) **11.** कराटे (बालक –50, –55, –61, –68, –76, +76 एकल काता, बालिका –40, –48, –53, –59, +59, एकल काता) **12.** बास्केटबाल **13.** हैण्डबाल **14.** मुर्गा झपट (बालक 45–50, 50–55, 55–60, 60–65 बालिका 35–40, 40–45, 45–50, 50–55) **15.** मलखम्ब **16.** हॉकी	54–57 एवं 57–63 किग्रा) **9.** टेबिल टेनिस (एकल, युगल एवं मिक्स युगल), **10.** ताईक्वांडो (बालक– 45–48, 48–51, 51–55, 55–59, 59–63, 63–68 एवं 68–73 किग्रा) बालिका – 42–44, 44–46, 46–49, 49–52, 52–55, 55–59 एवं 59–63 किग्रा) **11.** कराटे (बालक –50, –55, –61, –68, –76, +76 एकल काता, बालिका –40, –48, –53, –59, +59, एकल काता) **12.** बास्केटबाल **13.** हैण्डबाल **14.** मुर्गा झपट (बालक 45–50, 50–55, 55–60, 60–65 बालिका 35–40, 40–45, 45–50, 50–55) **15.** मलखम्ब **16.** हॉकी **सीधे राज्य स्तर पर –** **17.** योगासन (आर्टिस्टिक व्यक्तिगत एवं युगल एवं रिदमिक)
3	**अण्डर–20** (18–20)	**15**	–	**1.** कबड्डी, **2.** खो–खो, **3.** वालीबाल **4.** एथलेटिक्स, (100 मी. दौड़, 200मी दौड़, 400 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, 1500 मीटर, 5000 मी. दौड़ (बालक) / 3000 मी. दौड़ (बालिका), लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X400मी, रिले),	**चयन के आधार पर** **1.** कबड्डी, **2.** खो–खो, **3.** फुटबाल, **4.** वालीबाल, **5.** एथलेटिक्स, (100 मी. दौड़, 200मी दौड़, 400 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, 1500 मीटर, 5000 मी. दौड़ (बालक) / 3000 मी. दौड़ (बालिका), लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X400 मीटर, रिले), **सीधे जनपद स्तर पर** **6.** बैडमिंटन (एकल, युगल एवं मिक्स युगल) **7.** जूडो (बालक– –60,	**1.** कबड्डी, **2.** खो–खो, **3.** फुटबाल, **4.** वालीबाल, **5.** एथलेटिक्स, (100 मी. दौड़, 200मी दौड़, 400 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, 1500 मीटर, 5000 मी. दौड़ (बालक) / 3000 मी. दौड़ (बालिका), लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X400 मीटर, रिले), **6.** बैडमिंटन (एकल, युगल एवं मिक्स

					–66, –73, –81, –90, –100 एवं +100 बालिका– –48, –52, –57, –63, –70, –78 एवं +78 किग्रा) **8.** बाक्सिंग (46–49, 49–52, 52–56, 56–60, 60–64, 64–69 एवं 69–75) बालिका– (45–48, 48–51, 51–54, 54–57, 57–60 60–64 एवं 64–69) **9.** ताईक्वांडो (बालक– –54, –58, –63, –74, –80 एवं –87 एवं +87 किग्रा) बालिका – 46, –49, –53, –57, –62, –67, –73 एवं +73 किग्रा) **10.** टेबिल टेनिस (एकल, युगल एवं मिक्स युगल), **11.** कराटे (बालक –50, –55, –60, –67, –75, –84, +84 एकल काता, बालिका –45, –50, –55, –61, –68, +68, एकल काता) **12.** हैण्डबाल **13.** बास्केटबाल **14.** हॉकी **15.** मुर्गा झपट (बालक 45–50, 50–55, 55–60, 60–65 बालिका 35–40, 40–45, 45–50, 50–55) **16.** मलखम्ब	युगल) **7.** जूडो (बालक– –60, –66, –73, –81, –90, –100 एवं +100 बालिका– –48, –52, –57, –63, –70, –78 एवं +78 किग्रा) **8.** बाक्सिंग (46–49, 49–52, 52–56, 56–60, 60–64, 64–69 एवं 69–75) बालिका– (45–48, 48–51, 51–54, 54–57, 57–60 60–64 एवं 64–69) **9.** ताईक्वांडो (बालक– –54, –58, –63, –74, –80 एवं –87 एवं +87 किग्रा) बालिका – 46, –49, –53, –57, –62, –67, –73 एवं +73 किग्रा) **10.** टेबिल टेनिस (एकल, युगल एवं मिक्स युगल), **11.** कराटे (बालक –50, –55, –60, –67, –75, –84, +84 एकल काता, बालिका –45, –50, –55, –61, –68, +68, एकल काता) **12.** हैण्डबाल **13.** बास्केटबाल **14.** हॉकी **15.** मलखम्ब **16.** मुर्गा झपट (बालक 45–50, 50–55, 55–60, 60–65 बालिका 35–40, 40–45, 45–50, 50–55) **सीधे राज्य स्तर पर –** **17.** योगासन (आर्टिस्टिक व्यक्तिगत एवं युगल एवं रिदमिक)
6.	अण्डर–23 बालक–बालिका (21–23)	05	–	–	**1.** कबड्डी, **2.** वालीबाल **3.** बास्केटबाल **4.** बैडमिंटन **5.** एथलेटिक्स, (100 मी. दौड़, 200मी दौड़, 400 मी.	**1.** कबड्डी, **2.** वालीबाल **3.** बास्केटबाल **4.** बैडमिंटन **5.** एथलेटिक्स, (100 मी. दौड़, 200मी दौड़,

					दौड़, 800 मी. दौड़, 1500 मीटर, 10000 मी. दौड़ (बालक) / 5000 मी. दौड़ (बालिका), लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X400मी, रिले),	400 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, 1500 मीटर, 10000 मी. दौड़ (बालक) / 5000 मी. दौड़ (बालिका), लम्बीकूद, ऊंचीकूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4X400मी, रिले),
5	दिव्यांग जन (14–23) बालक–बालिका	02	—	—	—	1. एथलेटिक्स (**ब्लाइण्ड T-11, T-13** – 100 मीटर, 200 मीटर, लम्बीकूद, गोलाफेंक, **मूक बधिर** – 100 मीटर, 200 मीटर, लम्बीकूद, गोलाफेंक **लो0लिम्ब एवं स्पाईनल**– गोलाफेंक, चक्काफेंक, भाला फेंक, **अ0लिम्ब**– 100 मीटर, 200 मीटर, लम्बीकूद, गोलाफेंक 2. बैडमिंटन एकल वर्ग अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब,व्हील चेयर/मूक बाधिर

निर्धारित पुरस्कार– खेल महाकुम्भ 2024 में नकद पुरस्कार न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर निम्न विवरणानुसार विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को दिया जाना प्रस्तावित है–

तालिका:–02

क0 स0	प्रतियोगिता का स्तर	प्रथम स्थान (रु0 में)	द्वितीय स्थान (रु0 में)	तृतीय स्थान (रु0 में)	अतिरिक्त
1	न्याय पंचायत	300	200	150	विजेता प्रमाण–पत्र व मेडल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
2	विकासखण्ड	500	400	300	विजेता प्रमाण–पत्र एवं मेडल
3	जनपद	800	600	400	विजेता प्रमाण–पत्र एवं मेडल
4	राज्य	1500	1000	700	विजेता प्रमाण पत्र, प्रतिभागिता प्रमाण–पत्र एवं मेडल

नोटः– व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं टीम स्पर्धा में निदेशालय द्वारा निर्धारित संख्यानुसार टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को प्रथम, द्वितीय तृतीय हेतु निर्धारित धनराशि पुरस्कार स्वरूप देय होगी।

टीम चैम्पियनशिप –

1. राज्य स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले जनपद के एक बालक तथा एक बालिका टीम को चैम्पियनशिप के रूप में विजेता एवं उपविजेता की शील्ड/ट्रॉफी दी जायेगी। जिस हेतु अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

क0	स्पर्धा	निर्धारित अंक

सं0		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1	व्यक्तिगत स्पर्धा	05	03	02
2	टीम स्पर्धा	05	03	02

आयोजन समितियों का गठन— खेल महाकुम्भ 2024 के सफल आयोजन हेतु प्रत्येक स्तर पर आयोजन समिति प्रस्तावित है —

न्याय पंचायत स्तरीय आयोजन समिति

1	सम्बन्धित न्याय पंचायत की ग्राम सभा के ग्राम प्रधान	संरक्षक
2	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
3	खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित 01 अधिकारी के साथ–साथ न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी	सदस्य
4	अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित न्याय पंचायत की नगर पंचायत	सदस्य
5	सम्बन्धित न्याय पंचायत अथवा उसके निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
7	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले 01 जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य एवं 01 प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य।	सदस्य
8	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित न्याय पंचायत के अन्तर्गत स्थित रा0इ0का0 के प्रधानाचार्य	संयोजक

न्याय पंचायत स्तर समिति के कार्य एवं दायित्व :—

1— खेल महाकुम्भ हेतु खिलाड़ियों के पंजीकरण की व्यवस्था कराना।

2— आयोजन स्थल का चयन व निर्धारण। (प्रतियोगिताओं का आयोजन यथासम्भव न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजकीय इण्टर कालेज अथवा पूर्व माध्यमिक इण्टर कालेज के खेल प्रांगण में किया जाए।)

3— प्रतियोगिता का आयोजन एवं समापन अधिकतम 02 से 03 दिनों के भीतर किया जाएगा।

4— आयोजन हेतु शिक्षा, खेल, पंचायती राज एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी तथा न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु किसी भी प्रकार का टी0ए0 एवं डी0ए0 अनुमन्य नहीं होगा।

5— प्रतियोगिता से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।

6— प्रतियोगिता स्थल पर फर्स्ट एड, पेयजल की व्यवस्था क्रमशः स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।

7— प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

8— न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि कम होने की दशा में जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था जिला योजना अथवा जनपद के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (स्थानीय उद्योग जगत, सी.एस.आर.) के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

9— उद्घाटन एवं समापन समारोह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों / राष्ट्रीय—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी / उच्च अधिकारी / उद्योगपति—व्यवसायी आदि अथवा समकक्ष की उपस्थिति में सम्पन्न किया जायेगा, जिसका विवरण जिला युवा कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

10— फलैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फील्ड व्यवस्था, माईक, कुर्सी मेज, फोटोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।

11— प्रत्येक खेल विधा में परिणाम —प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम खेल में विनर, रनर एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों / टीमों का निर्धारण निर्णायकों द्वारा किया जायेगा।

12— प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या, आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम, प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ, समाचार पत्रों की कटिंग एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कर प्रतियोगिता समाप्ति के 3 दिन के अन्दर विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षाधिकारी के माध्यम से क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

13— न्याय पंचायत स्तर पर जिन खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा उन खेल विधाओं के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का समर्पण सक्षम स्तर को कर दिया जाएगा।

<u>विकासखण्ड स्तरीय आयोजन समिति</u>

1	सम्बन्धित विकासखण्ड के क्षेत्र प्रमुख	संरक्षक
2	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
3	खण्ड शिक्षाधिकारी	सह—अध्यक्ष
4	सम्बन्धित विकासखण्ड के उपजिलाधिकारी द्वारा नामित 01 अधिकारी	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पालिका	सदस्य
6	सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालय अथवा उसके निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा नामित उप क्रीड़ाधिकारी अथवा खेल प्रशिक्षक	सदस्य
8	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित खेल समन्वयक प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
9	सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग	सदस्य
10	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	संयोजक

<u>विकासखण्ड स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व</u>

1— खेल महाकुम्भ हेतु खिलाड़ियों के पंजीकरण की व्यवस्था कराना।

2— आयोजन स्थल का चयन व निर्धारण। (विकासखण्ड स्तर की प्रतियोगिता राजकीय इण्टर कालेज, पूर्व माध्यमिक इण्टर कालेज, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्मित बड़े खेल मैदान / मिनी स्टेडियम जहां प्रतिभागियों की सुविधानुसार हेतु उपयुक्त किसी एक स्थल पर आयोजित किये जायेंगे।)

3— प्रतियोगिता का आयोजन एवं समापन अधिकतम 02 से 03 दिनों के भीतर किया जाएगा।

4— विकासखण्ड स्तर पर व्यक्गित, टीम स्पर्धा हेतु खिलाड़ियों का निर्धारण।

5— आयोजन हेतु शिक्षा विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी।

6— प्रतियोगिता से पूर्व प्रतिभाग हेतु पंजीकरण तैयार करना।

7— खेल प्रतियोगिता से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था।

8— प्रतियोगिता स्थल का फर्स्ट एड और पेयजल की व्यवस्था।

9— दिशा—निर्देश के अनुरूप प्रमाण पत्र/मेडल/नकद पुरूस्कार की व्यवस्था एवं वितरण करवाना।

10— खेल महाकुम्भ हेतु प्रचार—प्रसार/विज्ञापन/निमंत्रण पत्र आदि की व्यवस्था।

11— विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि कम होने की दशा में जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था जिला योजना अथवा जनपद के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (स्थानीय उद्योग जगत, सी.एस.आर.) के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

12— उद्घाटन एवं समापन समारोह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों/ राष्ट्रीय—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी/उच्च अधिकारी/उद्योगपति— व्यवसायी आदि अथवा समकक्ष की उपस्थिति में सम्पन्न किया जायेगा, जिसका विवरण जिला युवा कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

13— फलैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फील्ड व्यवस्था, माईक, आवासीय व्यवस्था (प्रतियोगिता स्थल के सबसे निकटतम् विद्यालय), फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।

14— विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिताओं में पंजीकृत होने वाले तथा प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की पृथक—पृथक सूची तैयार करना एवं प्रथम 03 स्थान पर विजेता खिलाड़ियों की सूची जिला युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी एवं जनपद स्तरीय समिति के प्रमुख को उपलब्ध कराना।

15— प्रत्येक खेल विधा में परिणाम —प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम खेल में विनर, रनर एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों/टीमों का निर्धारण निर्णायकों द्वारा किया जायेगा।

16— विकासखण्ड स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के मार्ग व्यय का भुगतान परिवहन विभाग द्वारा पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों हेतु निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा जिला योजना में बजट उपलब्धता अथवा अपने अन्यत्र संसाधनों के आधार पर किया जायेगा।

17— प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या, आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम, प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ, विडियो ग्राफी समाचार पत्रों की कटिंग, व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि निर्धारित प्रपत्र पर खण्ड विकास अधिकारी से प्रमाणित कर प्रतियोगिता समाप्ति के 3 दिन के अन्दर जनपद स्तर पर उपलब्ध करायेगी।

18— जिन खेल विधाओं का आयोजन सीधे जनपद स्तर से आरम्भ किया जा रहा हो सम्बन्धित खेल विधाओं में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों का पंजीकरण कर उनकी सूचना जिला स्तरीय आयोजन समिति को जिला स्तरीय प्रतियोगिता आरम्भ होने से 07 दिन पूर्व अवश्य रूप से उपलब्ध करायेगी।

19— बैडमिंटन एवं टेबिल टेनिस विधा में एकल वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी को युगल वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कराया जायेगा एवं युगल वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा एकल वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं किया जा सकेगा।

20— विकासखण्ड स्तर पर जिन खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा उन खेल विधाओं के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का समर्पण सक्षम स्तर को कर दिया जाएगा।

21— विकासखण्ड स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा विभाग से निर्णायकों की मांग की जाएगी तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में निर्णायकों की तैनाती की जाएगी।

जनपद स्तरीय आयोजन समिति

1	जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री जी	मुख्य संरक्षक
2	जनपद के मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत एवं समस्त मा0 विधायकगण	संरक्षक

3	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य विकास अधिकारी	संयोजक
6	मुख्य नगर अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पालिका	सदस्य
7	निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित सम्बन्धित जनपद के जनपद मुख्यालय के निकटस्थ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	मुख्य शिक्षाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
10	जिला क्रीड़ाधिकारी	सदस्य
11	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
12	जिल सूचना अधिकारी	सदस्य
13	जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी	सह–संयोजक

जनपद स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व :–

1. महाकुम्भ हेतु खिलाड़ियों के पंजीकरण की व्यवस्था कराना।
2. आयोजन स्थल का चयन व निर्धारण।
3. जनपद स्तर पर व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा हेतु खिलाड़ियों का निर्धारण।
4. आयोजन हेतु शिक्षा विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी। जिन खेल विधाओं में विभागीय निर्णायकों की उपलब्धता न हो तो सम्बन्धित खेल विधा के निर्णायकों की व्यवस्था खेल विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर आयोजन समिति द्वारा की जायेगी।
5. प्रतियोगिता से पूर्व प्रतिभाग हेतु पंजीकरण रजिस्टर तैयार करना।
6. खेल प्रतियोगिता से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था।
7. प्रतियोगिता स्थल पर फर्स्ट एड और पेयजल की व्यवस्था।
8. प्रतिभागियों को आने–जाने का मार्ग व्यय दिये जाने की व्यवस्था करना।
9. यात्रा के दौरान भोजन भत्ता जनपद–ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून के मैदानी विकासखण्डों को छोड़कर अन्य को अनुमन्य है। भोजन भत्ते की व्यवस्था जनपद स्तरीय आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा जिसका भुगतान जिला योजना में बजट उपलब्धता तथा अपने अन्य संसाधनों से करेंगे।
10. दिशा–निर्देशों के अनुरुप प्रमाण–पत्र/मेडल/नगद पुरस्कार की व्यवस्था एवं वितरण करवाना।
11. खेल महाकुम्भ हेतु प्रचार–प्रसार/विज्ञापन/निमन्त्रण पत्र आदि की व्यवस्था।
12. जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि कम होने की दशा में जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था जिला योजना अथवा जनपद के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (स्थानीय उद्योग जगत, सी.एस.आर.) के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।
13. उद्घाटन एवं समापन समारोह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों/ राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी/उच्च अधिकारी/उद्योगपति– व्यवसायी आदि समकक्ष की उपस्थिति में सम्पन्न किया जायेगा, जिसका विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
14. फ्लैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फिल्ड निर्माण, माईक, टैण्ट व्यवस्था, फोटोग्राफी/विडियोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।

15. जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं में पंजीकृत होने वाले तथा प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की पृथक–पृथक सूची रजिस्टर में तैयार करना एवं प्रथम 03 स्थान पर विजेता खिलाड़ि. की सूची निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल एवं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के प्रमुख को उपलब्ध कराना।

16. प्रत्येक खेल विधा में परिणाम –प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम खेल में विनर, रनर एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों/टीमों का निर्धारण निर्णायकों द्वारा किया जायेगा।

17. जनपद–राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के मार्ग व्यय का भुगतान परिवहन विभाग द्वारा पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों हेतु निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा जिला योजना में बजट उपलब्धता अथवा अपने अन्यत्र संसाधनों के आधार पर किया जायेगा।

18. प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या, आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम, चिन्हित किये गये प्रतिभावान खिलाड़ियों का खेल विधावार विवरण, प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ, विडियोग्राफी, समाचार पत्रों की कटिंग, व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र/रजिस्टर पर जिलाधिकारी से प्रमाणित कर प्रतियोगिता समाप्ति के 07 दिन के अन्दर राज्य स्तर पर उपलब्ध करायेगी।

19. विकासखण्ड स्तर पर जिन खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा उन खेल विधाओं के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का समर्पण सक्षम स्तर को कर दिया जाएगा।

20. जनपद स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा विभाग से निर्णायकों की मांग की जाएगी तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में निर्णायकों की तैनाती की जाएगी।

<u>राज्य स्तरीय आयोजन समिति</u>

1	सचिव, युवा कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	महानिदेशक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
3	महानिदेशक स्वास्थ्य अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3	पुलिस महानिदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	आयुक्त परिवहन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	निदेशक, उच्च शिक्षा।	सदस्य
6	निदेशक, पंचायत राज।	सदस्य
7	निदेशक, शहरी विकास	सदस्य
8	निदेशक, खेल विभाग	सदस्य
9	अपर निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	सदस्य
10	निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	सदस्य–संयोजक

<u>राज्य स्तरीय आयोजन समिति के कार्य एवं दायित्वः–</u>

1. महाकुम्भ हेतु खिलाड़ियों के पंजीकरण की व्यवस्था कराना।
2. आयोजन स्थल का चयन व निर्धारण।
3. राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा हेतु खिलाड़ियों का निर्धारण।
4. आयोजन हेतु शिक्षा, खेल, युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी।
5. प्रतियोगिता से पूर्व प्रतिभाग हेतु पंजीकरण रजिस्टर तैयार करना।
6. खेल प्रतियोगिता से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था।
7. प्रतियोगिता स्थल पर फर्स्ट एड और पेयजल की व्यवस्था।
8. प्रतिभागियों को प्रतिभाग हेतु आने जाने के दौरान भोजन भत्ता दिये जाने की व्यवस्था।
9. प्रतिभागियों को आने–जाने का मार्ग व्यय दिये जाने की व्यवस्था।

10. दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रमाण–पत्र/मेडल/नगद पुरस्कार की व्यवस्था एवं वितरण करवाना।
11. खेल महाकुम्भ हेतु प्रचार–प्रसार/विज्ञापन/निमन्त्रण पत्र आदि की व्यवस्था।
12. उद्घाटन एवं समापन समारोह कार्यक्रम का अयोजन।
13. फ्लैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फिल्ड निर्माण, माईक, फोटोग्राफी/विडियोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।
14. प्रत्येक खेल विधा में परिणाम –प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम खेल में विनर, रनर एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों/टीमों का निर्धारण निर्णायकों द्वारा किया जायेगा।

<u>प्रतियोगिता हेतु तकनीकी समिति</u> :– न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा खेल अध्यापक, खेल विभाग के उप क्रीड़ाधिकारी एवं खेल प्रशिक्षक, युवा कल्याण विभाग के व्यायाम प्रशिक्षक का सहयोग निर्णायक के रूप में लिया जायेगा। न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर टीमस्पर्धा में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का उनके उत्कृष्ठ प्रदर्शन के आधार पर समिति द्वारा उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं (विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर) हेतु चयन किया जाएगा एवं चयनित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की 01 टीम तैयार की जायेगी जो सम्बन्धित न्याय पंचायत (विकासखण्ड स्तर पर), विकासखण्ड (जनपद स्तर पर) एवं जनपद (राज्य स्तर पर) का प्रतिनिधित्व करेगी। उक्त के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चिन्हीकरण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक स्तर हेतु तकनीकी समितियां निम्नानुसार गठित की गई हैं–

<u>न्याय पंचायत–संकुल स्तरीय तकनीकी समिति</u>

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित 01 खेल अध्यापक माध्यमिक शिक्षा
2	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित 01 खेल अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा
3	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित कोई 01 पूर्व राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ी

<u>विकासखण्ड–नगर पालिका स्तरीय तकनीकी समिति</u>

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	जिला क्रीड़ाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित उप क्रीड़ाधिकारी/खेल प्रशिक्षक
2	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित खेल समन्वयक माध्यमिक शिक्षा
3	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित खेल समन्वयक प्रारम्भिक शिक्षा
4	क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई 01 पूर्व राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ी

<u>जनपद स्तरीय तकनीकी समिति</u>

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	जिला क्रीड़ाधिकारी अथवा उनके द्वारा उप क्रीड़ाधिकारी या खेल प्रशिक्षक
2	मुख्य शिक्षाधिकारी द्वारा नामित जिला खेल समन्वयक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला खेल समन्वयक प्राथमिक शिक्षा
3	जिला खेल संघ (विधावार) द्वारा नामित 01 व्यक्ति
4	व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण।

<u>राज्य स्तरीय तकनीकी समिति</u>

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	संयुक्त निदेशक युवा कल्याण।
2	संयुक्त निदेशक खेल विभाग।
3	निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित राज्य खेल समन्वयक माध्यमिक शिक्षा
4	राज्य ओलंपिक संघ द्वारा नामित 01 सदस्य।

तकनीकी समिति के दायित्व

1. प्रतियोगिताओं के दौरान व्यक्तिगत खेल विधा में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त कर वाले खिलाड़ियों के इतर 02–02 खिलाड़ियों तथा टीम खेल विधा में 05–05 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।
2. उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों की सूची तकनीकी समिति द्वारा तैयार की जायेगी।
3. प्रतियोगिताओं के दौरान किसी भी वाद–विवाद का निस्तारण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।
4. तकनीकी समिति के सदस्यों एवं निर्णायकों को मानदेय, मार्गव्यय, भोजन भत्ता एवं आवास व्यवस्था अनुमन्य नहीं होगी।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

1	माननीय मंत्री जी युवा कल्याण	अध्यक्ष
2	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
3	सचिव, शहरी विकास	सदस्य
4	सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6	सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7	सचिव, सूचना उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड	सदस्य
9	महानिदेशक, चिकित्सा, उत्तराखण्ड	सदस्य
10	सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11	सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
12	सचिव प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
13	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
14	सचिव समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
15	निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य
16	सचिव, युवा कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य सचिव

निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उपरोक्तानुसार खेल महाकुम्भ–2024 का आयोजन सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

संख्या– 545 /VI-4/2024–61(03)24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/शहरी विकास/उच्च शिक्षा/स्वास्थ्य/तकनीकी शिक्षा/खेल/माध्यमिक शिक्षा/सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10. महानिदेशक, शिक्षा/स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, खेल/पंचायती राज/शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0।
13. विशेष कार्याधिकारी, महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव

D:\Y.W-2015-16\Youth Welfare\2024-25\G.O..doc